रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चिअ/बी-140/2020/ दिनांक :

डॉ. भरत लाल मीणा
पुत्र श्री मोदू राम मीणा
चिकित्सा अधिकारी,
पता कालाखाना, पोस्ट पालनपुर,
तहसील हिण्डौन, जिला करौली।
पिन कोड न. 322234।

विषयः- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 86(4) के अन्तर्गत नोटिस ।

संदर्भः- निदेशालय के पूर्व रजिस्टर्ड नोटिस क्रमांक 398 दिनांक 18.03.2017 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित नोटिस के द्वारा आप राज्य सेवा से दिनांक 25.07.2015 से स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये अपनी अनुपस्थिति के संबंध में प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था, अन्यथा आपको स्वैच्छिक अनुपस्थित मानते हुये आपके विरूद्व राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 86(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अनुपस्थिति तिथि से राज्य से त्याग पत्र दिया हुआ मानते हुये आपकी सेवायें समाप्त करने हेतु नोटिस दिया गया था, परन्तु उक्त संबंध में अभी तक आपके द्वारा किसी प्रकार प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया। जो कि आपका यह कृत्य उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

अतः इस नोटिस के जरिये आपको अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है कि आप पत्र प्राप्ति के सात दिवस में अपनी अनुपस्थिति के संबंध में सुसंगत दस्तावेजो सहित अपना प्रार्थना पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा पत्र प्राप्ति के सात दिवस में सुसंगत दस्तावेजो सहित अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने की स्थिति में आपके विरूद्व राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 86(4) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चिअ/बी-140/2020/714 दिनांक : 13/7/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग,राज0 जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द को भेजकर लेख है कि डॉ. मीणा के विरूद्व आप द्वारा अब तक की गई कार्यवाही से संबंधित पूर्ण सूचना भिजवाते हुये डॉ.मीणा को आप अपने स्तर से भी उनके निवास पते पर नोटिस जारी कर स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाकर उक्त समाचार पत्र में प्रकाशित की कटिंग की छाया प्रति निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि इस पत्र को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।